

राजस्थान-सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक: एफ.2(1050)स्था/पमु/2020/10043

दिनांक : 22.09.2020

कार्यालय आदेश

गत वर्षों में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण नहीं होने से पदोन्नति से आस्थगित प्रकरणों एवं विभागीय जांच/फौजदारी प्रकरण लम्बित होने के फलस्वरूप रखे गये सील्डकवर लिफाफों के संबंध में अब कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (रिब्यू) की अभिशंभा पर चयनित निम्न वरिष्ठ सहायकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-


| क्र. सं. | कार्मिक का नाम             | वरिष्ठता सूची में नाम का विवरण  | डी.पी.सी. वर्ष |
|----------|----------------------------|---|----------------|
| 1        | श्री ओमप्रकाश मंगल         | दिनांक 01.04.2012 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री रूपाराम गुसाईवाल के नीचे एवं श्री राधाकृष्ण शर्मा के ऊपर। | 2011-12        |
| 2        | श्री रामरतन तिवाडी         | दिनांक 01.04.2015 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची के अंतिम क्रम संख्या 15 श्री छीतरमल मीणा के नीचे।                  | 2014-15        |
| 3        | श्री दिलीप राव             | दिनांक 01.04.2016 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री कैलाश चन्द माली के नीचे एवं श्री कन्हैया लाल सोनी के ऊपर। | 2015-16        |
| 4        | श्री सुभाष चन्द शर्मा      | दिनांक 01.04.2017 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री करण सिंह आर्य के नीचे एवं श्री हरबंस सिंह के ऊपर।         | 2016-17        |
| 5        | श्री हुरतैंग डिंडोर        | दिनांक 01.04.2017 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री कृष्णलाल शर्मा के नीचे एवं श्री चन्द्र खानचन्दानी के ऊपर। | 2016-17        |
| 6        | श्री ज्ञानेन्द्र देव शर्मा | दिनांक 01.04.2017 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री शिवचरण गुप्ता के नीचे एवं श्री प्रहलाद कुमार मीणा के ऊपर। | 2016-17        |
| 7        | श्री हेमराज लोहार          | दिनांक 01.04.2017 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री जयनारायण मीणा के नीचे एवं श्री कृष्ण लाल शर्मा के ऊपर।    | 2016-17        |
| 8        | श्री जयनारायण मीणा         | दिनांक 01.04.2017 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री प्रहलाद कुमार मीणा के नीचे एवं श्री हेमराज लोहार के ऊपर।  | 2016-17        |
| 9        | श्री रमेश कुमार छीपा       | दिनांक 01.04.2017 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्रीमति अंजना जैन के नीचे एवं श्री भवानी शंकर भाटी के ऊपर।     | 2016-17        |
| 10       | श्री अरविन्द शर्मा         | दिनांक 01.04.2017 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री करण सिंह आर्य के नीचे एवं श्री सुभाष चन्द शर्मा के ऊपर।   | 2016-17        |
| 11       | श्री राजेन्द्र सोलंकी      | दिनांक 01.04.2018 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री बाबूलाल सैनी के नीचे एवं श्री राजेन्द्र नवल के ऊपर।       | 2017-18        |



|    |                   |   |         |
|----|-------------------|---|---------|
| 12 | श्री बाबूलाल सेनी | दिनांक 01.04.2018 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की स्थाई वरिष्ठता सूची में श्री सुशील कुमार शर्मा के नीचे एवं श्री राजेन्द्र सोलंकी के ऊपर। | 2017-18 |
|----|-------------------|---|---------|

क्रम संख्या 10 पर अंकित कार्मिक श्री राजेन्द्र सोलंकी दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शेष सभी कार्मिक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापन पद पर ही कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। राज्यादेश दिनांक 23.02.2015 के अनुसार वित्तीय लाभ कार्यग्रहण की दिनांक से देय होंगे।

नोट :- क्रम संख्या 01 पर अंकित कार्मिक श्री ओमप्रकाश मंगल के विरुद्ध माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर में दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 47/2014 (62/08) राजस्थान सरकार जरिये सहायक निदेशक अभियोजन, ए.सी.बी. बनाम ओमप्रकाश मंगल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2018 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी सपठित धारा 7, 13 (1)(डी)सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अं.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 12.8 के अनुसार फौजदारी प्रकरण में राजसेवक को संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किये जाने पर पदोन्नति से वंचित रही कालावधि के वेतन अन्तर का भुगतान नहीं किया जायेगा। अतः वर्ष 2011-12 में दिनांक 01.04.2011 से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दी गई पदोन्नति फलस्वरूप वेतन निर्धारण किया जाकर पदोन्नति से वंचित अवधि का वेतन अन्तर का भुगतान देय नहीं होगा। कार्मिक दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हो चुका है।


  
 22/9/20  
 (महावीर प्रसाद)  
 महानिरीक्षक  
 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
 राजस्थान-अजमेर

क्रमांक: एफ.2(1050)स्था/पमु/2020/10044-10094

दिनांक : 22.09.2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर/जयपुर।
2. संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक.....
3. संबंधित उप पंजीयक, .....
4. संबंधित कार्मिक .....
5. निजी पत्रावली संबंधित कार्मिक।
6. गार्ड फाईल।

  
 (अनिता चौधरी)  
 उप महानिरीक्षक(कर)  
 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
 राजस्थान-अजमेर